देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/14 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 17 जून 2022

आबकारी विभाग की जय हो!!!

सर छोटुराम हॉस्पिटल से 200 मीटर दायरे के अंदर
500 गज के प्लॉट पर खुल गया महाराजा वाईन्स का शोरूम!!!
जबकि शराब का शोरूम लगाने की अनुमति केवल मॉडल शॉप के अंतर्गत ही अनुज्ञेय!!

आबकारी विभाग,जयपुर शहर के वृत जयपुर पश्चिम के वार्ड संख्या 52,55(G) मे स्थित प्लॉट संख्या 20A,गुलमोहर लेन,सिरसी रोड पर लाईसेन्सी एम के ट्रेडर्स को स्वीकृत की गयी कम्पोजीट शराब की दुकान का है मामला

आबकारी विभाग के जिम्मेदार ही उड़ा रहे राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 की धज्जियां!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सर छोटू राम हॉस्पिटल से 200 मीटर के दायरे मे चल रही शराब की दुकान महाराजा वाईन्स

आबकारी अधिकारी खुद ही उड़ा रहे राजस्थान आबकारी नियम 75 का मखौल

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,औद्योगिक क्षेत्र,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल,कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दी जा सकेगी|

ऊपर की तस्वीर मे स्पष्ट है कि आबकारी नियम को धत्ता बताते हुए,शहर के बड़े हॉस्पिटल सर छोटू राम हॉस्पिटल से महज 200 मीटर के अंदर आबकारी विभाग,जयपुर शहर के वृत जयपुर-पश्चिम के वार्ड संख्या 52,55(G) मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 20A,गुलमोहर लेन,सिरसी रोड पर लाईसेन्सी एमके ट्रेडर्स को कम्पोजीट शराब की दुकान **"महाराजा वाईन्स"** की लोकेशन स्वीकृत कर दी गयी|जबकि नियमों के अनुसार किसी भी अस्पताल से 200 मीटर की दूरी मे कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 – दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

---

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी ।

(3) खुदरा विक्रय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी ।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी ।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणें को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोटः राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

स्पटीकरण –

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होगें।

(2) हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसवमें अन्तिम जनगण्ना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों ।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थिति कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी ।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है,

500 गज के आवासीय भूखंड पर संचालित शराब का शोरूम महाराजा वाईन्स"जबकि आबकारी विभाग ने शराब के शोरूम खोलने की इजाजत केवल मॉडल शॉप के अंतरगर्त ही दी जा सकती है|

शराब का शोरूम लगाने की अनुमति केवल मॉडल शॉप के अंतर्गत ही अनुज्ञेय!!लेकिन शहर मे महाराजा वाईन्स जैसे दर्जनो शराब के अवैध शोरूम संचालित!!!

राज्य मे जयपुर तथा अन्य शहरो मे जल्द ही वातानुकूलित और अन्य सुविधायुक्त मॉडल शॉप खुलने जा रहे है|नयी आबकारी नीति के अनुसार इन दुकानों पर केवल महंगे ब्रांड(BIO और BII दोनों प्रकार के) ही रखे जाएंगे|इन दुकानों का संचालन आरएसबीसीएल द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से किया जाएगा|आरएसबीसीएल द्वारा टेंडर प्रक्रिया के तहत जयपुर शहर मे 5,जोधपुर और उदयपुर मे 2,शेष जिला मुख्यालय पर एक और ब्यावर,किशनगढ़,माउंटआबू,भिवाड़ी और आबू रोड पर 1 दुकान कुल 44 दुकाने खोलने के अनुज्ञापत्र जारी कर दिये गए है|लेकिन आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते शहर मे महाराजा वाईन्स जैसे दर्जनो शराब के अवैध शोरूम संचालित है जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए,शोरूम की तर्ज पर ग्राहको को घूम-घूम कर शराब खरीदने की सुविधा दी गयी है|इन अवैध शोरूमो पर काँच के शीशे लगाकर,शराब के ब्रांडो की प्रदर्शनी लगाई जाती है,जिससे ग्राहक शराब खरीदने के लिए लालियत रहे,उन्हे आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते है|इतना ही नहीं ऐसे शोरूम मे ग्राहक को बैठ कर पिलाने की भी व्यवस्था की जाती है|जिसके लिए चखने,पानी,कोल्ड ड्रिंक,सिगरेट,अंडे की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जाती है|

क्रम	जिम्मेदार अधिकारी	नाम
1	जिला आबकारी अधिकारी	एमडी मीणा
2	अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी	गौरवमणि जौहरी
3	आबकारी निरीक्षक	अब्दुल जावेद

क्या जिम्मेदार अधिकारी करेंगे इस दुकान की लोकेशन निरस्त करने की हिम्मत?

देखना यह है कि यह मामला जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद नियमविरुद्ध अस्पताल के 200 मीटर दायरे मे संचालित और शराब के इस अवैध शोरूम "महाराजा वाईन्स" की लोकेशन निरस्त करेंगे|